रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 625] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 1998/भाद्र 30, 1920
No. 625] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 1998/BHADRA 30, 1920

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1998

आय-कर

का. आ. 844(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (15) के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय स्टेट बैंक, जो भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 3 की अधीन गठित बैंक है, द्वारा जारी भारत पुनरुत्थान बंधपत्र (रिसर्जेंट इंडिया बांड) को, जो वचन पत्र के रूप में विदेशी करेंसी में अंकित मूल्य की निक्षेप के रूप में बैंक लिखत है, उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए निक्षेप के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. 149/84/98-टीपीएल/अधिसूचना सं. 10708 दिनांक 21-09-98]
बी. डी. बिश्नोई, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 1998

INCOME-TAX

S.O. 844(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (15) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the Resurgent India Bonds, being bank instruments representing foreign currency denominated deposits in the form of promissory notes, issued by the State Bank of India, a bank constituted under section 3 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), as deposits for the purposes of the said sub-clause.

[F.No. 149/84/98-TPL/Notification No. 10708 dated 21-09-1998]
B. D. VISHNOI, Dy. Secy.

2564 GI/98

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998